

अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान

(हिंदी अनुभाग)

फा.सं.1-1/2016-हि.आ.

अंसारी नगर, नई दिल्ली-29

दिनांक: २६-०८-२०१६

आदेश

केन्द्रीय सरकार राजभाषा (संघ के शासकीय प्रयोजनों के लिए प्रयोग) नियम 1976 के नियम 10 (4) के तहत अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान, नई दिल्ली पहले से ही अधिसूचित है जिसके अनुपालन में राजभाषा नियम 1976 के नियम 8 (4) के अन्तर्गत निम्नलिखित कार्यनिष्पादन हिंदी में ही किया जाता है:-

1. "क" तथा "ख" क्षेत्र की राज्य सरकारों या संघ राज्य क्षेत्र के प्रशासन और इन क्षेत्रों में स्थित केन्द्रीय सरकार के कार्यालयों, उपक्रमों आदि और गैर-सरकारी व्यक्तियों को जाने वाले सभी पत्रादि।
2. हिंदी में प्राप्त सभी पत्र आदि के उत्तर।
3. किसी कर्मचारी द्वारा हिंदी में दिए गए या हस्ताक्षर किए गए आवेदन, अपील या अभ्यावेदन का उत्तर।
4. संबंधित फाइलों पर टिप्पणियां।

इनके अलावा विभाग/अनुभाग/केन्द्र काम और परिस्थिति को देखते हुए अपने विभाग/अनुभाग/केन्द्र आदि में हिंदी में प्रवीणता प्राप्त कर्मचारियों को किसी प्रयोजन के लिए हिंदी में काम करने का निदेश देना चाहें तो वे इस बारे में नियम 8 (4) के अधीन स्वयं आदेश जारी करेंगे।

आमतौर पर उपर्युक्त से संबंधित नियम का संस्थान में पालन किया जा रहा है लेकिन फिर भी कुछ तकनीकी कारणों से हम इसे पूर्ण रूप से लागू करने में हम असमर्थ रहे हैं जबकि हमें इन सभी तकनीकी कारणों से ऊपर उठकर उपर्युक्त आदेश का पूर्ण रूप से पालन करना होगा।

अतः आपसे अनुरोध है कि आप अपने अधीन कार्यरत सभी प्रवीणता प्राप्त अधिकारियों/कर्मचारियों को उल्लिखित कामकाज हिंदी में करने संबंधी व्यक्तिशः आदेश जारी करें तथा इस संबंध में की गई कार्रवाई के बारे में यथाशीघ्र मुझे अवश्य अवगत कराया जाए।

इसे आवश्यक अनुपालन हेतु जारी किया जाता है।

(डॉ. एम.सी.मिश्र)

निदेशक

वितरणः

- चिकित्सा अधीक्षक (अस्पताल)।
- प्रमुख, हृद तंत्रिका विज्ञान केन्द्र
- प्रमुख, डॉ.रा.प्र.केन्द्र
- प्रमुख, डॉ. बी.आर.अ.सं.रो.कै.अ.
- प्रमुख, राष्ट्रीय औषध निर्भरता उपचार केन्द्र, गाजियाबाद
- प्रमुख, दंत शिक्षा एवं अनुसंधान केन्द्र
- प्रमुख, जे.पी.एन.ए.ट्रॉमा केन्द्र
- मुख्य प्रशासन अधिकारी

प्रतिलिपि:

- निदेशक/संकायाध्यक्ष/चिकित्सा अधीक्षक महोदय के निजी सचिव।
- उप-निदेशक (प्रशासन)/वरिष्ठ वित्त सलाहकार एवं राजभाषा अधिकारी महोदय के निजी सचिव।
- मुख्य प्रशासन अधिकारी/वित्त सलाहकार/अधीक्षण अभियंता महोदय के निजी सचिव।
- सभी नोडल राजभाषा अधिकारीगण।
- प्रभारी अधिकारी (कंप्यूटर सुविधा) - इस अनुरोध के साथ कि उपर्युक्त आदेश को संस्थान की बेवसाइट पर अपलोड करवा दिया जाए।

अनुपालन देश
प्रैशंशली २४.८.१६